पत्र संख्या–वि0 2–51/99 /वि0

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

संकल्प

विषयः– बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान दिनांक–01.04.2013 के प्रभाव से ब्याज दर 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) किये जाने के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–734 दिनांक–12.06.2012 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से ब्याज दर 8.8% (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) केन्द्र सरकार के अनुरूप लागू किया गया था ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या–5 (1)–बी(पी.डी.)/2013 दिनांक–08.04.2013 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष–2013–14 के लिए दिनांक–01.04.2013 के प्रभाव से ब्याज की दर 8.7%(आठ दशमलव सात) में निर्धारित की गयी है ।

3. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान दिनांक–01.04.13 के प्रभाव से ब्याज दर 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) लागू होगा ।

4. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/ सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधाण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– वि0 2–51/99 /वि0,पटना,दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

सरकार के उप सचिव ।

कृ0पृ0उ0–2

800

ज्ञापांक– वि0 2–51/99 1088 /वि0, पटना, दिनांक– 29.07.2013

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, बेली रोड पटना/मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ सभी जिला भविष्य निधि पदा0/सभी कोषागार/ उप कोषागार पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.7.13

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के उप सचिव ।